



मनसुख मांडविया
MANSUKH MANDAVIYA

अपील

07 सितंबर, 2020

भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इसलिए प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हमारे देश के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि 'कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी'। इस बहु भाषी देश को यदि कोई भाषा एक सूत्र में पिरोती है, तो वह है हमारी राजभाषा हिंदी। हिंदी ही सभी देशवासियों के बीच संपर्क भाषा का काम करती है। वर्तमान युग में कोई भी भाषा आधुनिक तकनीकी विकास के साथ जुड़े बिना नहीं पनप सकती। आजकल विभिन्न सोशल मीडिया में भी हिंदी का खुल कर प्रयोग हो रहा है, तो क्यों न हम भी सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर, ई-मेल, वेबसाइट आदि के जरिए अपना सरकारी कामकाज अधिकाधिक हिंदी में करें और राजभाषा हिंदी को उसका वास्तविक दर्जा प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

मैं पोत परिवहन मंत्रालय और इसके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों के अधिकारियों से अपील करता हूँ कि वे अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज आम बोलचाल की हिंदी में करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। मंत्रालय के समस्त अधिकारियों से अपील है कि वे न केवल राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को



सत्यमेव जयते

-2-

प्राप्त करने के पुरजोर प्रयास करें, बल्कि साथ ही मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों का हिंदी में प्रचार-प्रसार करके इन्हें जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लें।

आज 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के अवसर पर मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

(मनसुख मांडविया)